कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.:- 07570299010 ई-मेल:-piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र. 1031 सिवनी मालवा, दिनांक 30/9/24

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
वन भवन, सी ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं. 2, तुलसी नगर,
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- मोरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना(वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018) के निर्माण में 2250.05 हेक्टे. **वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव की सशर्त सैधान्तिक (चरण - 1) स्वीकृती प्रदाय करने बाबत।**

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्र./एफ-3/16/2018/10-11/4874, दिनांक 13.09.2024
2.भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-16/2023- FC (I/82325/2024) दिनांक 17.09.2024

---------00----------

उपरोक्त विषयान्तर्गत वन प्रस्ताव प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के उक्त संदर्भित पत्र के प्रत्युत्तर में निवेदन है कि परियोजना की वस्तुस्थिति एवं स्पष्टीकरण भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी गाईडलाइन Forest Consolidated Guidelines and clarifications issued under VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) ADHINIYAM, 1980 and Van (sanrakshak Evam Samvardhan) Rules, 2023, दिनांक 29/12/2023 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना को चरण - 1 की सशर्त स्वीकृती प्रदाय की जा सकती है जिसका स्पष्टीकरण निम्नानुसार है -

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>MoEF&CC द्वारा चाही गई जानकारी</th><th>वर्णित प्रावधान</th><th colspan="4">वस्तुस्थिति एवं स्पष्टीकरण</th></tr>
<tr><td rowspan="9">1</td><td rowspan="9">संख्या का वास्तविक आकलन करने के लिए। परियोजना में सम्मिलित वृक्षों की, प्रस्तावित डायवर्सन क्षेत्र में आने वाले वृक्षों की प्रजातिवार एवं परिधि वर्गवार पूर्ण गणना प्रस्तुत की जायेगी।</td><td rowspan="9">वन समेकित दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण, दिनांक 29.12.2023, के बिंदु संख्या 1.4 (Vi) पृष्ठ संख्या 36 अनुसार यह प्रावधानित किया है, कि 10 हेक्ट. से अधिक के प्रस्तावों में वृक्षों की गणना सेम्पल प्लाट या कार्य योजना के अनुसार की जा सकती है।

(अनुलग्नक – 1)</td><td colspan="4">**परिवेश पोर्टल पर प्रविष्ट वृक्षों की संख्या**</td></tr>
<tr><td></td><td>**कुल वन भूमि 2250.05 हेक्ट.**</td><td>**FRL - 4 भूमि 1752.32 हेक्ट.**</td><td>**FRL – 10 भूमि 1348.06 हेक्ट.**</td></tr>
<tr><td>कुल वृक्ष संख्या</td><td>5,20,802</td><td>4,01,246</td><td>3,15,236</td></tr>
<tr><td>प्रति हेक्ट. वृक्ष संख्या</td><td>231</td><td>178</td><td>140</td></tr>
<tr><td colspan="4">**0-20 सेमी. व्यास वाले पौधे एवं बांस भिर्रों को हटाने के बाद की संख्या**</td></tr>
<tr><td>कुल वृक्ष संख्या</td><td>3,70,173</td><td>2,85,856</td><td>2,24,558</td></tr>
<tr><td>प्रति हेक्ट. वृक्ष संख्या</td><td>165</td><td>127</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="4">कुल आवेदित 2250.05 हेक्ट. में वनमंडल उत्तर बैतूल में 188.89 हे. पश्चिम बैतूल 34.46 हे, हरदा 809.09 हे. खंडवा 2.19 हे. एवं नर्मदापुरम वनमंडल में प्रस्तावित वन क्षेत्र 1215.42 हेक्ट. में से 668.011 हेक्ट. में तदनुसार 75% से अधिक वास्तविक वृक्ष गणना कार्य संपादित किया जा चुका है।</td></tr>
</table>

Scanned with OKEN Scanner

2	प्रस्तावित क्षेत्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जैव विविधता और वन्य जीवन पर परियोजना के संभावित प्रभावों का एक अध्ययन किया जाएगा जिसे सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू और राज्य सरकार की विशिष्ट अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया जाए।	वन समेकित दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण, दिनांक 29.12.2023, बिंदु संख्या 1.22, पृष्ठ संख्या 47 अनुसार सैधान्तिक स्वीकृति के उपरांत वन्यप्राणी प्रबंधन योजना प्रस्तुत कर राशि जमा की जा सकती है एवं परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि जमा कर भी स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है। **(अनुलग्नक – 2)**	CWLW द्वारा पत्र क्र./ वप्रा./वतअ.-1/WL/LM-22/8072 दिनांक 12/09/2024 को पत्राचार से भारतीय वन्यजीव संस्थान को जैव विविधता और वन्य जीवन पर परियोजना के संभावित प्रभावों के अध्ययन हेतु लेख किया गया है। **(अनुलग्नक – 4)** परियोजना लागत की 2% राशि जमा करने हेतु भी सहमत है । विभाग द्वारा वचनपत्र पत्र क्र 1200, दिनांक 29.09.2023 को वन विभाग को प्रेषित किया गया ।
3	राज्य तत्काल प्रस्ताव पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की अनुशंशा /टिप्पणियां प्रस्तुत करे।		CWLW द्वारा पत्र क्र./ वप्रा./वतअ.-1/WL/LM-22/8070 दिनांक 12/09/2024 को पत्राचार से NTCA से वांछनीय अभिमत हेतु अनुरोध किया गया है । **(अनुलग्नक – 5)**
4	इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह क्षेत्र सतपुड़ा-मेलघाट टाइगर कॉरिडोर के भीतर है, राज्य एनबीडब्ल्यूएल/एस बीडब्ल्यूएल की अपेक्षित सिफारिशें प्राप्त करने के लिए नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।		CWLW द्वारा पत्र क्र./ वप्रा./वतअ.-1/WL/LM-22/8096 दिनांक 12/09/2024 को पत्राचार से सम्बंधित मुख्य वन संरक्षक नर्मदापुरम / बैतूल / खंडवा वृत को लेख कर सबंधित वनमंडल अधिकारी एवं क्षेत्र संचालक सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व नर्मदापुरम के साथ संयुक्त स्थल निरिक्षण हेतु लेख किया है । अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा पत्र क्र.एफ-3/16/2018/10-11/4901, दिनांक 18/09/2024 को निदेशक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर को प्रस्तावित क्षेत्र में वन्यप्राणीयो की उपस्थिति एवं आवागमन के आकड़ो की जानकारी प्रेषित करने हेतु लेख किया है । वन्य प्राणी स्वीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन क्र. WL/MP/IRRIG/452403/2023 अपलोड किया गया है । **(अनुलग्नक – 6)**

Scanned with OKEN Scanner

5	प्रतिपूरक वनरोपण के लिए प्रस्तावित कुल गैर-वन भूमि के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड, मानचित्र और केएमएल फाइलों के साथ संपूर्ण सीए योजना प्रस्तुत की जाए। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित क्षेत्र सभी बाधाओं से मुक्त हो।	वन समेकित दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण, दिनांक 29.12.2023, पृष्ठ संख्या 95 पर बिंदु संख्या 9.1 के अनुसार चरण वार स्वीकृति प्रदाय की जा सकती है। **(अनुलग्नक – 3)**	राज्य सरकार अनुशंसित 2250.05 हेक्ट. चरणबद्ध तरीके से वन व्यपवर्तन का प्रस्ताव - चरण 1 - 116.27 हेक्ट. चरण 2 - 1135.57 हेक्ट. चरण 3 - 616.748 हेक्ट. चरण 4 - 381.462 हेक्ट. परियोजना समतुल्य गैर वन भूमि का आवंटन संबंधित जिलाधीश द्वारा जिला सागर में 1457.46 हेक्ट., जिला आगर मालवा में 275.28 हेक्ट., जिला जबलपुर में 170 हेक्ट. एवं जिला बैतूल में 386.469 हेक्ट. कुल गैर वनभूमि **2289.209 हेक्ट. का आवंटन** किया गया है । परियोजना निर्माण हेतु **प्रथम चरण में 116.27 हेक्ट.** वन भूमि की आवश्यकता है, जिसके एवज में **जबलपुर की 170 हेक्ट.** वृक्षारोपण योजना तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त **1050.75 - 170 = 880.75 हेक्ट.** वृक्षारोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति संबंधित वन संरक्षक अधिकारी द्वारा प्रदाय की गयी । प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रभावित गैर वन भूमि सैधान्तिक स्वीकृति के पश्चात परियोजना समतुल्य प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि चरण वार वन विभाग को सौंपी जावेगी ।

अतः उपरोक्तानुसार निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की आवश्यक सशर्त सैधान्तिक (चरण - 1) स्वीकृती प्राप्त करने हेतु प्रेषित करने का कष्ट करे ।

संलग्न - संबंधित अनुलग्नक ।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner